



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269303
CG-DL-E-12012026-269303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947

No. 07]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

फा. सं. एलएएफईएस-एलएस11/1/2026-विधायी अनुभाग-आरएसएस.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2026 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करती हूँ।

12 जनवरी, 2026

ह/-
राष्ट्रपति"

पी. सी. मोदी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2026

F. No. LAFEAS-LS11/1/2026-Legis Sec-RSS.— The following Order by the President dated the 12th January, 2026, is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Wednesday, the 28th January, 2026 at 11.00 A.M.

January 12, 2026

Sd/-

PRESIDENT”

P. C. MODY, Secy.-General